



कार्यालय:-भण्डार क्रय अधिकारी
उ० प्र० पं० दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा-281001

टेण्डर संख्या:- 52/भं०कं०अ०/2021-22

दिनांक:- 08-12-2021

अल्पकालीन-निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था के लिये कार्य करने हेतु इच्छुक फर्मों से ऑफ लाईन मुहरबन्द निविदायें (तकनीकी एवं वित्तीय विड) अलग-अलग आमंत्रित की जाती है, जिसकी अन्तिम दिनांक 15-12-2021 अपरान्ह 01:00 बजे तक है, जो उसी दिनांक 15-12-2021 अपरान्ह 03:00 बजे निविदादाताओं तथा समिति के समक्ष खोली जायेंगी । प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था हेतु सम्बन्धी विस्तृत विवरण एवं शर्तें तथा निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के केन्द्रीय भण्डार कार्यालय से दिनांक 09-12-2021 से रू० 1,180/- (with 18% gst) (वित्त अधिकारी, वैटरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में) मात्र जमा करके प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट www.upvetuniv.edu.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है ।

भण्डार क्रय अधिकारी

निविदा की शर्तें

1. टेण्डर निविदा शुल्क रू0 1180.00 का नगद/बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, वेटरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है।
2. धरोहर राशि रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) नगद/एफ0डी0आर के रूप में वित्त अधिकारी, वेटरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा (Finance officer, Veterinary university, Mathura) के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उनका टेण्डर निरस्त समझा जायेगा।
3. टेण्डर प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रकाशित निविदा में दर्शित (दोपहर 01:00 बजे तक) होगी।
4. निविदा खोलने की तिथि प्रकाशित निविदा में दर्शित दिनांक को अपराह्न 03:00 बजे माननीय कुलपति महोदय के समिति कक्ष में खेली जायेगी।
5. टेण्डर निविदा प्रत्येक वस्तु की दो अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में डालना आवश्यक है। उक्त लिफाफों पर निम्नलिखित लिखा होना आवश्यक है।
 - A. तकनीकी विड (Technical Bid)
 - B. वित्तीय विड (Financial Bid)
6. कृपया अवगत हों कि आप द्वारा प्रस्तुत दरें अनुमोदित होने की दिनांक से आगामी एक वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होंगी। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरान्त उक्त कार्य प्रस्तुत दरों पर आगामी चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
7. सन्तोषजनक आपूर्ति न होने पर ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
8. समस्त निविदा को स्वीकृत करना अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
9. मुहरबंद निविदायें नियत समय व दिनांक तक भण्डार कय कार्यालय में रखी निविदा पेटिका में डाली जानी चाहिए।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मथुरा रहेगा।
11. खान-पान हेतु समस्त क्रोकरी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा इसका कोई अतिरिक्त शुक्ल देय नहीं होगा।
12. आपूर्तिकर्ता को खान-पान हेतु एफ0एस0एस0ए0आई0 का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
13. खान-पान हेतु समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।

एतद द्वारा विक्रेता यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत दरें उसके संज्ञान में सर्वाधिक प्रतियोगित्मक व न्यूनतम हैं व मांगे गये विवरण के अनुरूप होने वाली वस्तुओं की दरें ही प्रस्तुत की गई हैं। सम्बन्धित कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समस्त शर्तें मुझे पूर्णतः स्वीकार हैं। साथ ही यह सहमति भी देता है कि आपूर्ति की गई वस्तुओं के निम्न गुणवत्ता के होने की दशा में क्रेता द्वारा कय की पूर्ण सामग्री को या उसके ऐसे भाग को जिसे क्रेता उपयुक्त समझे, विक्रेता अपने खर्च पर विश्वविद्यालय भण्डार से ले जायेगा व उसे उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं से बदले

दिनांक—

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय भण्डार क्रय अधिकारी,
उ०प्र० पं० दीन दयाल उपाध्याय, पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान
संस्थान मथुरा ।

तकनीकी विड
(प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान पान व्यवस्था)

- 1- निविदाकर्ता एजेन्सी / ब्यक्ति का नाम तथा पता
- 2- फर्म का नाम
- 3- फोन नं०
- 4- धरोहर राशि रू० 10000/- नगद / एफ०डी०आर० का विवरण
एफ०डी०आर० संख्या- दिनांक- बैंक का नाम-
- 5- जी०एस०टी० के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति एवं विवरण
- 6- आयकर विभाग का पैन् नं०
- 7- एफ०एस०एस०ए०आई० (FSSAI)की प्रमाणित प्रति

नोट :-

- 1- पूर्णतः भरा हुआ तकनीकी बिड प्रपत्र प्रकाशित निविदा में दर्शित तिथि के अनुसार विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी ।
- 2- धरोहर राशि बैंक एफ०डी०आर० के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्त अधिकारी, वैटैरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा (Finance Officer, Veterinary University, Mathura) के नाम से आई०ओ०बी० बैंक, वैटैरिनरी कॉलेज शाखा में कम से कम 13 माह बैद्यता की देय होगी ।
- 3- जी०एस०टी० / टिन नं० / पैन् नं० / FSSAI की स्वप्रमाणित प्रति होनी आवश्यक है ।
- 4- साझेदारी / स्वामित्व घोषणा की स्थिति में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ब्यक्ति का पूरा नाम, पता तथा मोबाईल फोन नं० स्पष्ट रूप से अंकित हो ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम -

पता-

फोन नं० -

दिनांक -

निविदा संख्या—

निविदाकर्ता का पता व दूरभाष संख्या _____

प्रेषक,

सेवा में,

भण्डार क्रय अधिकारी,
उ०प्र० पं० दीन दयाल उपाध्याय, पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा—281001

महोदय,

मैं/हम इस पत्र के साथ संलग्न निविदा शेड्यूल में दी गई सभी वस्तुओं/कुछ दर्शाई गई वस्तुओं की प्रस्तुत दरों पर आपूर्ति हेतु स्वीकृति के लिये निविदा प्रस्तुत करते हैं ।

मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश व सुझाव तथा टेण्डर शेड्यूल व निविदा परिशिष्ट में दी गई शर्तों व प्रतिबंधों को भली प्रकार पढ़ व समझ लिया है । मेरे/हमारे द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुयें आपकी मांग के अनुरूप ही होंगी ।

इस पत्र के संलग्नक के रूप में बाद में पेज लगाये गये हैं तथा ये पेज इस निविदा की मांग हैं ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम —

पता—

फोन नं० —

दिनांक —

प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था हेतु सामान्य शर्तें

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्री लाने एवं गैस सिलेन्डर भरवाने आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
2. निविदादाता के द्वारा विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला खाना ही उपलब्ध कराना होगा।
3. वर्तमान में खान-पान का टेण्डर (निविदा) मात्र एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा।
4. निविदादाता पूरे एक वर्ष की अवधि में खान-पान का कार्य स्वयं करेगा तथा किसी भी अन्य से सबलेट (सिकमी ठेकेदार/किराये पर) नहीं करायेगा।
5. प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का कार्य के दौरान व उपरान्त परिसर में धूम्रपान व मदीरापान (मद्यपान) पूर्णतः वर्जित होगा।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का कार्य करने वाले निविदादाता के बेरा/चाकर संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिये। निविदादाता द्वारा अपनी मैस के बेरा/चाकरों के स्वास्थ्य की जाँच कराकर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था में कार्यरत निविदादाता के बेरा/चाकर साफ, स्वच्छ एवं एक समान वर्दी में होने चाहियें तथा व्यवहार कुशल होने चाहियें।
8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था में कार्यरत निविदादाता के बेरा/चाकर के अकस्मात बीमार अथवा घटना, दुर्घटना हो जाने की स्थिति में उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी पूर्णतः निविदादाता की ही होगी।
9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का ठेका समाप्त हो जाने के उपरान्त निविदादाता को विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों/उपकरणों आदि को सही स्थिति में विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करना होगा।
10. निविदादाता किसी भी मैस के अन्दर किसी भी प्रकार का निर्माण/नवीनीकरण (रिनोवेशन) का कार्य बिना सक्षम अधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं करेगा।
11. खाने की गुणवत्ता को छात्रावास खान-पान समिति किसी भी समय जाँच कर सकती है। यदि खाने की गुणवत्ता से समिति संतुष्ट नहीं होती है तो अर्थदण्ड/ठेका निरस्त किया जा सकता है।
12. आवासित समस्त विद्यार्थियों को तीनों समय का खाना निर्धारित समय पर ही उपलब्ध कराना होगा अन्यथा आर्थिक दण्ड किया जा सकता है।
 1. सुबह का नाश्ता- प्रातः 07:00 बजे से 09-30 बजे तक
 2. दोपहर का खाना- दोपहर 12:30 बजे से 02:00 बजे तक
 3. रात्रि का खाना- सॉय 07:30 बजे से 09:30 बजे तक
13. विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को निविदादाता/बेरा/चाकर द्वारा किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुँचती है, तो उन्हें अर्थ दण्ड दिया जायेगा।
14. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था के बेरों/चाकर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहियें।
15. विश्वविद्यालय प्रशासन को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकारी होगा।
16. खाना भोजन कक्ष (डायनिंग हाल) में ही परोसना होगा।
17. खाना गैस पर ही बनाना होगा।
18. निविदादाता विश्वविद्यालय प्रशासन की बिना अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कोई खाना सप्लाई नहीं करेगा।
19. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था का कार्य सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय होगा।
20. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान-पान व्यवस्था के ठेके से सम्बन्धित विवाद का स्थान मथुरा न्यायालय ही होगा।
21. यदि निविदादाता निविदा में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है तो अर्थदण्ड/ठेका निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय भण्डार क्रय अधिकारी,
उ०प्र० पं० दीन दयाल उपाध्याय, पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान
संस्थान मथुरा ।

वित्तीय विड

(प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य समारोहों में खान पान व्यवस्था)

1- निविदाकर्ता एजेन्सी/ ब्यक्ति का नाम

2- निविदाकर्ता एजेन्सी/ ब्यक्ति का पता एवं फोन नं०

.....

विवरण	दर (रु० प्रति ब्यक्ति प्रति दिन) जी०एस०टी० सहित
सादा नाश्ता	
स्पेशल नाश्ता	
सादा लन्च डिनर	
स्पेशल लन्च/स्पेशल डिनर	
सादा Intercessional Tea	
स्पेशल Intercessional Tea	
लंच पैकेट	
अतिरिक्त आईटम नास्ता	
अतिरिक्त आईटम लंच एवं डिनर	
अति साधारण सादा नाश्ता	
अति साधारण सादा लन्च डिनर	
अति साधारण डिनर	
चाय सुबह, दोपहर, शाम	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
मोहर सहित

मेन्यू

क्र०सं०	खान-पान का विवरण
सादा नाश्ता	1- पूड़ी सब्जी, रॉयता, चाय 2- पोहा सूजी का हलवा, सेण्डविच, चाँय 3- मैथी पराठा, आलू टमाटर सब्जी, चना, चाँय 4- आलू पराठा, दही, दलिया, चाँय 5- ब्रेड मक्खन, पोहा, चाँय (इनमे से कोई एक)
स्पेशल नाश्ता	1- आलू पराठा, दही, अचार, बॉयल अण्डा, चाँय, कॉफी 2- ब्रेड मक्खन जेम, आमलेट, चाँय, कॉफी 3- छोले भटूरे, सेण्डविच, अचार, चाँय, कॉफी 4- कॉर्न फ्लेक्स दूध, अण्डा, पोहा, चाँय, कॉफी 5- कचोडी, जलेबी, दही, चाँय, कॉफी (इनमे से कोई एक)
सादा खाना	सूखी सब्जी (सीजनल सब्जी), रसीली सब्जी, दाल, चावल, रोटी/पूड़ी, सलाद, रॉयता, अचार
स्पेशल खाना	1- मटर पनीर/पालक पनीर/शाही पनीर/मलाई कोफ़्ता/दम आलू 2- पीली दाल/छोले/राजमा/कडी पकोडा/मिक्स दाल 3- सूखी सब्जी/मिक्स बेज/शिमला मिर्च/बैंगन भर्ता 4- रॉयता(बूँदी/बथुआ/खीरा)/कडी पकोडा 5- चाँवल (पुलाव/जीरा चावल) 6- सलाद (खीरा/मूली/गाजर/प्याज) 7- अचार मिक्स 8- रोटी चुपडी 9- मिठाई (गुलाब जामुन/सफेद रसगुल्ला)
सादा इन्टरशेसन टी	1- चाँय/कॉफी/कोल्ड ड्रिन्क व 02 बिस्किट, थर्मोकॉल ग्लास मे 150 मिली लीटर
स्पेशल इन्टरशेसन टी	1- पॉलक पकोडा/मिठाई/समौसा/नमकीन/चिप्स, चाँय/कॉफी, बिस्किट, (मीठा/नमकीन)
लंच पैकेट	08 पूड़ी, सब्जी, अचार, 04 नग सलाद, नेफ़किन, 01 मीठा (नोट: उपरोक्त समस्त सामान अच्छी गुणवत्ता वाले गत्ते के डिब्बे मे पैक होना अनिवार्य है, जिसमे पूड़ी एक पोलिपैक मे सब्जी दूसरी पोलिपैक मे रखना अनिवार्य है)
अतिरिक्त स्पेशल आईटम	1- वेजीटेबिल पनीर पकोडा, कॉर्न फ्लेक्स दूध, उबले अण्डे, 02 अण्डे का आमलेट 2- कॉफी/ दूध
अतिरिक्त स्पेशल आईटम	1- शाही पनीर की सब्जी/मलाई या चीज कोफ़्ता/छोले /राजमा/कडी-पकौडी/दाल मखनी/मशरूम की सब्जी/मन्चूरियन/नॉन बेज(चिकन/मटनकरी/अण्डा करी/फिश करी)

मेन्यू

क्र०सं०	खान पान विवरण	प्रयोगार्थ ब्यक्तियों हेतु
1- नाश्ता		
क	1- पूडी सब्जी, चाय 2- पोहा सूजी का हलवा, चाँय 3- मैथी पराठा, सब्जी, चाँय 4- आलू पराठा, (दही 150 ग्राम अचार, चाय) 5- ब्रेड पकोडा -02 नग, चाँय (इनमे से कोई एक)	पशुपलकों/किसान हेतु
2- लंच		
ख	1- दाल/छोले/राजमा/कडी पकौडा(इनमे से कोई एक) 2- सीजनल सब्जी 3- चावल 4- रोटी 5- राँयता 6- अचार 7- सलाद	पशुपलकों/किसान हेतु
3- डिनर		
ग	1- दाल /छोले/राजमा/कडी पकौडा (इनमे से कोई एक) 2- सीजनल सब्जी 3- चावल 4- रोटी 5- अचार 6-सलाद	पशुपलकों/किसान हेतु

- नोट : 1- चाय सुबह, दोपहर 12.00 बजे कक्षा मे एवं शॉम 05 बजे ।
2- सप्ताह मे 2 दिन पनीर की सब्जी 01 टाईम ।
3- सीजनल सब्जी एवं दाल बदल बदल कर देनी होगी ।
4- क्रोकरी एवं बनाने के बर्तन की व्यवस्था केटरस को ही करनी होगी ।